Form- 1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

## Office of the District Collector Ajmer

No./Rev./2020/10261. Dated 28/X/2020

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.2401 Hectare** of forest land in **Village LAMBA of Tehsil Arain forest division Arain** proposed to be **diverted in favour of Project Director (PPP), Public Works Department, Ajmer for development of Arain-Sarwar Road in District Ajmer**

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **1.2401 Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residning in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers ( Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Encl : As above**

**(Prakash Rajpurohit)**
**District Collector, AJMER**

राजस्थान सरकार

# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

## बैठक कार्यवाही विवरण

**जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 का कार्यवाही विवरण :–**

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.10.2020 को सायं 04:00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

1. **प्रस्ताव** :– परियोजना निदेशक (पीपीपी), सावर्जनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा पत्रांक 320 दिनांक 06.01.2020 से अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अंराई–सरवाड़ सड़क को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त कार्य से प्रभावित हो रही **ग्राम लाम्बा तहसील अंराई की 1.2401है0 वन भूमि** के प्रत्यर्पण तथा एफ आर ए सर्टिफिकेट जारी करने का निवेदन किया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभागअजमेर द्वारा चाहा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

5.10.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,अजमेर

उप वन संरक्षक,
अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
अंराई जिला अजमेर

परियोजना निदेशक (पीपीपी)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अरांई, जिला अजमेर

क्रमांक/राजस्व/2020/247 दिनांकः- 29.07.2020

निमित्त

परियोजना निदेशक (पी.पी.पी)
सा.नि.वि. अजमेर।

विषयः- अरांई–सरवाड़ सड़क को विकसित किए जाने हेतु वन क्षैत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु FRA Certificate जारी के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- आपका पत्र क्रमांक/पीपीपी/अजमेर/2020/416 दिनांक 23.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के जरिये अरांई–सरवाड़ सड़क को विकसित किए जाने हेतु वन क्षैत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु FRA Certificate जारी करने हेतु निवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय स्तर की समुचित कार्यवाही की जाकर निम्न दस्तावेज संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्नः-

1. बैठक कार्यवाही विवरण
2. FRA Certificate

उपखण्ड अधिकारी,
अरांई, जिला अजमेर

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, अराईं अनुसचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण–पत्र**

उपखंड अराईं परिक्षेत्र के अतर्गत ग्राम लाम्बा (1.2401 है0 वन भूमि) का कार्यालय परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि. वि, अजमेर के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय समिति, (तहसील अराई) की दिनाक 28/07/2020 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और एवं परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री प्रियंका बड़गूजर उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. सुश्री प्रियंका बड़गूजर उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री मधुसूदन विकास अधिकारी प.स. अराईं सदस्य।
3. श्रीमति शीला चौधरी तहसीलदार, अराई सदस्य।
4. श्री जितेन्द्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी सदस्य।

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपखंड अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अराईं– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन भूमि परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि, अजमेर के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत बैठक लाम्बा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, अराईं अजमेर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड अराईं के ग्राम लाम्बा परिक्षेत्र के अंतर्गत अराईं– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन भूमि परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि, अजमेर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

28/07/2020

उपखंड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील– अराईं
जनपद– अजमेर

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी महोदय अजमेर को सूचनार्थ हेतु।

28/07/2020

उपखंड/अध्यक्ष
उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील– अराईं
जनपद– अजमेर

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अराई

## बैठक कार्यवाही विवरण

उपखंड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28/07/2020 का कार्यवाही विवरण–

उपखंड स्तरीय परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28/07/2020 का कार्यालय उपखंड अराई में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयीः–

परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि. अजमेर को अराई– सरवाड सडक का विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सडक के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र से संबन्धित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जो परियोजना निदेशक, (पीपीपी), सा.नि.वि अजमेर को अराई– सरवाड सड़क को विकसित किए जाने हेतु लाम्बा बीड वन क्षेत्र में सड़क के किमी 8/640 से किमी 9/391 तक 0.751 किलोमीटर लम्बाई में 1.2401 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे है, के प्रमाण पत्र से संबन्धित है।

उपखंड अराई, जिला अजमेर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति /समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।
अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

| | | |
|---|---|---|
| क्षेत्रीय वन अधिकारी<br>सरवाड़<br>क्षेत्रीय वन अधिकारी<br>सावाड़<br>वन मण्डल-अजमेर | तहसीलदार अराई<br>जिला अजमेर | 28/07/2020<br>उपखंड अधिकारी<br>अराई (अजमेर) |

विकास अधिकारी
पंचायत समिति अराई (अजमेर)

# कार्यालय ग्राम पंचायत, छोटा लाम्बा

पंचायत समिति-अरांई जिला-अजमेर (राज.)

श्री कानाराम चैयवंशी
सरपंच
Cell: 9413041686

प्रेषित : अपरोद अधिकारी जी,
अपरोद - अरांई

दिनांक : 28.07.2020

क्रमांक : 68

ग्रा० प० बैठक दिनांक 20.07.20
प्रस्ताव सं. 22 -

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अरांई - सरवाड़ सड़क को विकसित किये जाने का कार्य एशियन विकास बैंक की कार्य योजना में सम्मिलित है। इस सड़क पर स्थित ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा अन्तर्गत बीड़ वन क्षेत्र सड़क के कि.मी. 8/650 से कि.मी. 9/391 तक 0751 कि.मी. लम्बाई में 1.8501 हैक्टेयर वन क्षेत्र आता है। इस सड़क का उपयोग ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा आवागमन में ~~अपने~~ किया जा रहा है।

यदि उक्त सड़क का निर्माण कार्य किसी भी संस्था द्वारा किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई भी आपत्ति नहीं है। उक्त परिक्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जाति व जनजाति के ~~[illegible]~~ परिवार निवास नहीं कर रहे हैं जिनके हित इससे प्रभावित हों।

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा
पं.स. अरांई (अजमेर)

॥ इंसान की समूची मुहिम यही होनी चाहिए कि इंसान का कल्याण हो ॥

Scanned with CamScanner